


भारतीय रेल (रेल मंत्रालय)
डीजल रेल इंजन कारखाना
वाराणसी- 221004 भारत
INDIAN RAILWAYS (MINISTRY OF RAILWAYS)
DIESEL LOCOMOTIVE WORKS
VARANASI - 221004, INDIA



एएलडब्ल्यूसी- 03
पत्र सं०-म०प्र०(का०)/ई.आर/भत्ता-भाग-1

कार्यालय-म०प्र०/कार्मिक
दिनांक- 09/08/2018

सर्वसम्बंधित,
डीरेका/वाराणसी, कोलकाता,
सियालदह एवं कैम्प कार्यालय,
नई दिल्ली ।


प्रतिलिपि :-

- ❖ संयुक्त सचिव कर्मचारी परिषद एवं अन्य सदस्यगण ।
- ❖ सचिव अनु०जाति/अनु०ज०जा० एसोसिएशन एवं सचिव अ०पि०व०एसोसिएशन ।
- ❖ सचिव सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन ।

विषय:- उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों (जेई/एसएसई)को पीसीओ भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

उपरोक्त विषय मे रेल मंत्रालय के पत्र सं०-ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1, दिनांक-30.07.2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :-01 पेज



(एम.ए.अंसारी)

सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 107/2018

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

नई दिल्ली, दिनांक 30.07.2018

महाप्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों (जेई/एसएसई) को पीसीओ भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 30.08.2017 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्र के संबंध में, बोर्ड कार्यालय में कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जेई/एसएसई से संबंधित पदों के लिए उपलब्ध पे लेवल के अलावा एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्च पे लेवल (अर्थात् लेवल 7, 8 और 9) में वेतन पाने वाले जेई/एसएसई को पीसीओ भत्ते की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मुद्दे को एनएफआईआर द्वारा मद सं. 12/2018 के तहत पीएनएम फोरम में भी उठाया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह देखा गया है कि एमएसीपीएस का प्रावधान व्यक्तिगत आधार पर कर्मचारियों के वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए है और संबंधित कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि उत्पादन नियंत्रण संगठन के जेई/एसएसई एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्चतर पे लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, परंतु संबंधित जेई/एसएसई द्वारा क्रमशः लेवल 6 और लेवल 7 में उनके वास्तविक मूल वेतन के संबंध में उनके संबंधित पद के लिए निर्धारित दर पर पीसीओ भत्ते के पात्र हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

(एन.पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/ई(पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड